



F- 07-08
F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु- 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.: 858का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 858**

**विषय/Sub: ग्रीस सियाटम - 221/
GREASE CIATUM - 221**

यह घोषित किया जाता है कि डी एम एस आर डी ई, कानपुर द्वारा विकसित और मेसर्स मिनरल ऑयल कार्पोरेशन, सं.: 7/22सी, तिलक नगर, कानपुर - 208 002, द्वारा उत्पादित "ग्रीस सियाटम - 221" को संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 858, दिनांक 06 अक्टूबर 1999 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 858 जारी किया गया था। तदुपरान्त संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 858/3आर दिनांक 18 दिसंबर 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to statethat the "GREASE CIATUM - 221", developed by DMSRDE, Kanpur and manufactured by M/s Mineral Oil Corporation, No.: 7/22 C, Tilak Nagar, Kanpur - 208 002, was issued TA No.: 858 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA - 858, dated: 06th October 1999. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA - 858/3R, dated: 18th December 2012 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कोरापुट), सेमिलैक, सूनाबेडा - 763 002, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), CEMILAC, Sunabeda – 763 002, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए - 858, दिनांक 06 अक्तूबर 1999 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA – 858, dated: 06th October 1999 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-858/4R

दिनांक / Date: 25 January 2018

फैक्स सं. / Fax No: 080-2523 0856

 23/01/18 HR 25/01/18


(पी .जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)